



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 ज्येष्ठ, 1945 (श०)

संख्या - 354 राँची, बुधवार,

14 जून, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

16 मई, 2023

संचिका संख्या:-8/आरोप-01/2021 का. 2795--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री आशीष कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची (सम्प्रति- निलम्बित) के विरुद्ध कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2237 दिनांक-13.12.2021 द्वारा बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने तथा मुख्यालय स्थापना एवं पेंशन से सम्बन्धित अति महत्वपूर्ण संचिकाओं को लम्बे समय से लम्बित रखने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए साक्ष्य सहित आरोप-पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई ।

2. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-152 दिनांक-12.01.2022 द्वारा श्री कुमार से आरोप के सम्बन्ध में बचाव-बयान की माँग की गई तथा विभागीय पत्रांक-2215 दिनांक-07.04.2022 द्वारा इन्हे स्मारित भी किया गया। परन्तु श्री कुमार द्वारा आरोप के सम्बन्ध में कोई बचाव-बयान समर्पित नहीं किया गया ।

3. श्री कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप-पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय आदेश संख्या-3585 दिनांक-10.06.2022 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-35 दिनांक-01.02.2023 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिसमें आरोपी पदाधिकारी के द्वारा समर्पित बचाव बयान को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

5. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्णय लिया गया:-

- i विभागीय संचालन-सह-जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री आशीष कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड (सम्प्रति-निलंबित) के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (iv) के तहत 'असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि का रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।
- ii श्री कुमार को निलंबन अवधि में जीवन भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि पेंशन एवं अन्य वित्तीय लाभों के लिए की गणना की जायेगी।
- iii श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

6. श्री आशीष कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची (सम्प्रति-निलम्बित) के सम्बन्ध में उपर्युक्त निर्णय लेते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

गुलाम सरवर,

सरकार के अवर सचिव।
